कार्यालय उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड

पता–मिनी सचिवालय कमरा न. 138–139 मेल आई.डी.–dlo.jha@rajasthan.gov.in

क्रमांक/सान्याअवि/ई–निविदा/2026/1017 दिनांकः– 10/02/2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झालावाड़ के अधीन संचालित छात्रावासो हेतु अनावर्तक सामान क्रय किये जाने बाबत् इच्छुक निविदादाताओं द्वारा दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 19.02.2026 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in/ & https://sppp.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

UBN No. SOC2526GLRC00400
NIB No. SOC2526A0371

(रामनिवास यादव)
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
झालावाड़

क्रमांक/सान्याअवि/ई–निविदा/2026/1018-25 दिनांकः– 10/02/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार समाचार पत्र में न्यूनतम डी.पी.आर दरो पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
3. श्रीमान अति. निदेशक (आई.टी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय जिला कलक्टर/जिला परिषद/कोष कार्यालय/कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड

पता–मिनी सचिवालय कमरा न. 138–139 मेल आई.डी.–sjejhalawar@yahoo.com

क्रमांक/सान्याअवि/ ई–दर संविदा/2025–26/ 1006 दिनांक : 10.2.2026

ई–निविदा – 02/2025–26

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सान्याअवि राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 7(2)(9)(2474)Part-2/रा.छा./ब.आ./सान्या.अवि./2024 के राजकाज रेफरेन्स नम्बर 19517004 द्वारा झालावाड़ जिले में विभाग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक सामान (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर आदि) क्रय किये जाने है।

अतः इच्छुक रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता/फर्मों/संस्था/कंपनी/एजेन्सी से निम्नलिखित सामग्री क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 या निर्देशानुसार ई–दर संविदा आमंत्रित की जाती है –

S.No.	Items	Estimated Cost	Bid Fees Document	RISL Processing Fee	Earnest Money
1.	झालावाड़ जिले में विभाग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक सामान (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर) क्रय एवं आपूर्ति दर संविदा	39.63 lakh	Rs 500/- (online challan to DD SJED JHALAWAR)	Rs 500/- (online challan to MD RISL JAIPUR)	Bank DD of Rs. 79260/- to DD SJED JHALAWAR)

Bidding Schedule

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	e-publishing Date	10.02.2026	01:00 PM
2.	Document Download Start Date	10.02.2026	01:00 PM
3.	Document Download End Date	19.02.2026	10:00 AM
4.	Bid Submission End Date	19.02.2026	06:00 PM
5.	Online Submission of Tender Fee and Processing Fee Challan (THROUGH E GRAS SINGLE CHALLAN) and SD, A copy must be submitted physically at office.	20.02.2026	11:00 AM
6.	Technical Bid Opening Date	20.02.2026	02:00 PM

ई–दर संविदा संबंधी शर्ते एवं ई–दर संविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in & पर विभागीय वेबसाईट https://sje.rajasthan.gov.in से भी Download किये जा सकते है।

UBN No. SOC2526GLRC00400

NIB No. SOC2526A0371

(राम निवास यादव)
उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक– सान्याअवि/ई– दर संविदा/2025–26 / 1007-13 दिनांकः– 10.2.26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार समाचार पत्र में न्यूनतम डी.पी.आर. दरो पर न्यून्तम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
3. श्रीमान आयुक्त महोदय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान–जयपुर।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान अति.निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राज.जयपुर।
6. श्रीमान अति.निदेशक (आई.टी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राज.जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय/जिला परिषद/कार्यालय हाजा ।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, झालावाड़

ई–निविदा सूचना 02/2025–26
निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

विषय :–उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, झालावाड़ के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए अनार्वतक सामान (पलंग आयरन विद प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर मय कवर (मोटाई–4 इंच), दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट एवं चद्दर) की आपूर्ति हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता.....
.....
ई–मेल आईडी .....मोबाईल.....
2. प्रोपराईटर का नाम एवंस्थायी पता .....
.....
3. प्रोपराईटर का आधार कार्ड नम्बर.....
4. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500/– रूपये जमा कराने का विवरण –
Through E-Gras Challan Budget Head 0075-00-800-52-01 जी.आर.एन. नं. एवं दिनांक.....
5. ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/– रूपये जमा कराने का विवरण –
Through E-Gras Challan Budget Head 8658-00-102-16-01 जी.आर.एन. नं. एवं दिनांक .....
6. बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत रूपये .....जो कि **उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़** के पक्ष में जारी हो जमा कराने का विवरण :–
Through E-Gras Challan Budget Head 8443-00-103-00-00 जी.आर.एन. नं. एवं दिनांक.....
...
7. फर्म/संस्था के बैंक खाते का विवरण :–
(अ) बैंक खाते मे उल्लेखित नाम (बैंक पासबुक अनुसार/प्रति संलग्न करे).....
.....
(ब) बैंक का नाम व शाखा .....
(स) बैंक खाता संख्या .....आईएफएससी कोड.....
8. **रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण –**

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नम्बर	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
01.	वस्तु एवंसेवा कर (जीएसटी)			
02.	आय कर (पैन)			
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम .1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र			
04.	दिसम्बर–2025तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र/चालान की कॉपी			

DP AO (CEO) ZP JWR

Scanned with OKEN Scanner

05.	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र			
06.	अन्य दस्तावेजः–प्रोपराइटर का आधार कार्ड, लघु औधोगिक इकाई रजि. प्रमाण पत्र (यदि हो तो)			

उक्त सभी रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेजो के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/स्वंय द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि ई–निविदा में निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

09. **वित्तीय टर्न ओवर :–**

प्रति वर्ष के टर्नओवर का विवरण (आयकर रिटर्न):–
गत तीन वर्षो के टर्न ओवर जो कि न्यूनतम 75 लाख (प्रत्येक वर्ष का औसत न्यूनतम 25 लाख) हो,के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित दस्तावेज ई–निविदा के साथ अपलोड करने होंगें।

क्र. सं.	वितीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)
01	2022–23	
02	2023–24	
03	2024–25	

मैने/हमने उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़ के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक .....में वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैने/हमने हस्ताक्षर किये है। जिन्हे मै/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कार्यालय को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवंउक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,के राजकाज रेफरेंस न0 20040304 दिनांक 21.01.2026 एवं पत्रांक 881/04-02-2026 को गठित जिला स्तरीय क्रय समिति झालावाड़ को प्रदत्त करता हूँ/ करते है।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर
संस्था/फर्म/एजेन्सी की मोहर

DDSJE AO (CEO) X-Pen

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़

निविदा सं. 02/2025–26 की सामग्री का न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स एवं विशिष्ट शर्ते

क्र.सं.	सामग्री का नाम	तकनीकी विवरण
01	पलंग आयरन विद प्लाई	Metal (Iron) Bed with 12 mm Thick water proof Ply Structure of Metal bed frame including legs: MS pipe thickness 50mmX25mm MS Pipe 1.98mm/14 gauge Overall length of Bed: 6 Feet Overall width of Bed: 3 Feet Height of Bed: 1.5 Feet Thickness of support Panel (in mm): 25x25 mm, MS Pipe 1.2 mm thick (16 gauge) including box made of 0.50mm thick C.R.B.P sheet Box size 8inch Depth. Paint / Finish of MS Parts: Red oxide Coated, Paint Colour of bed (steel Frame): Black, Complete with plastic cap. Warranty: 1 Year Number of support for ply: 3 support pipe (Excluding Frame) Overall Weight of Bed – 35 kg or higher (Excluding Plywood Weight) नोट–1. पलंग के पायों के नीचे लकड़ी/प्लास्टिक का टुकड़ा एवं संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाये। पलंग का वजन 500 ग्राम (+)(-) होसकताहै।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	तकनीकी विवरण
01	गद्दा फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच) मय कवर	Make: Godrej / Sleepwell / Kurl On or equivalent Dimensions (Tolerance ±15 mm): 3X6 Feet Type: Orthopedic Mattress Thickness – 4 Inch or higher Quilting: One Side Quilting (Single Sided) Thickness of Quilting (±2 mm): 8 mm Warranty: 5 Year or Above Weight: 10Kg or Above ISI/ISO Certified नोट–1.गद्दे के एक साइड फोम H R एवं दूसरी साइड हार्ड ऑर्थोपेडिक होना चाहिए। जिसकी न्यूनतम Density 32 2. गद्दे मय कवर होना चाहिए।
02	तकिया	Make: Bombay dyeing / Godrej / Sleepwell or equivalent Length: 60 CM Width: 40 CM Weight: 700-800 gm (Around) Height of pillow at center: 170 millimeter Body fabric: Cloth plain weave Polyester cotton/Synthetic Cotton
03	कम्बल चैक	Mink Marino Blanket Wash Care: Hand Wash Pattern: Printed Quality: High quality (soft and comfort) Size: 152cmX250cm Weight: 2.4kg or Above Four side are bounded with Double interlock stitching high quality fabric
04	खेस	100% cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash GSM : minimum 150 gm Size : 150cmX250cm

Scanned with OKEN Scanner

		Weight : 1.2kg or Above
05	तकिया कवर	Printed Pillow Cover 100% cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash Size : 42cmX65cm GSM : minimum 120 gsm
06	बेडशीट	Printed Cotton bedsheet 100% cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash GSM : minimum 120 gsm Size : 152cmX230cm Weight : 0.7kg or Above
07	दरी	100% cotton fibre made by combed yarn All Fast ness properties should be good. Fabric should be not shrink after wash Size : 122cmX185cm GSM : minimum 300 gsm

टेक्नीकल स्पेशीफिकेशन श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महो0 के आदेश क्रमांक एफ07(2)(9)(2474) part-2/रा.छा/ब.आ.सान्यावि दिनांक 05.12.2025 के अनुसार होना आवश्यक रहेगा

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग
झालावाड़

DD SJE (AO) (CEO) ZP ZP

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़

ई–निविदा आंमत्रण सूचना सं. 02/2025–26

निविदा की सामान्य शर्ते

विषय :– उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, झालावाड़ के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए अनार्वतक सामान (पलंग आयरन विद प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच), दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट एवं चद्दर) की आपूर्ति हेतु।

1. ई–निविदा के लिए बोलीदाता का सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (DSC) होना आवश्यक है। तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक तक निविदा फार्म शुल्क राशि 500/–Through E-Gras Challan Budget Head 0075-00-800-52-01. बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) Through E-Gras Challan Budget Head 8443-00-103-00-00जो कि **Deputy Director, Social Justice and Empowerment Deparment, Jhalawar** के नाम तथा **ई बोली प्रक्रिया शुल्क राशि 500/–**Through E-Gras Challan Budget Head 8658-00-102-16-01 में इस कार्यालय को जमा करवा दिया गया होगा।
2. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) निविदा राशि की 2 प्रतिशत एवं धरोहर राशि (परफोर्मेन्स सिक्योरिटी) निविदा राशि की 5 प्रतिशत होगी।
3. **तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व निविदा दाता/फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर भौतिक रूप से पलंग आयरन विद प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच) मय कवर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, एवं चद्दर** सहित **(संलग्न स्पेशिफिकेशन अनुसार) का नमूना जमा कराना होगा, जो कि निविदा में दी गई स्पेशिफिकेशन या उससे उच्च स्पेशिफिकेशन के अनुसार होना चाहिए, उक्त के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में असफल निविदादाता को समस्त नमूना सामग्री स्वयं के खर्चे पर इस कार्यालय से वापिस उठानी होगी।**
4. कार्यालय द्वारा जारी किये गये निविदा प्रपत्र पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा दो बिड सिस्टम पर आधारित है, जिसमे से तकनीकी निविदा जो PDF File में होगी व वितीय निविदा जो BOQ(Excel) फाईल में अपलोड होगी। जिसको www.eproc.rajasthan.gov.inवेबसाईट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय निविदा में दरें अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावें कि जो मैक/स्पेसिफिकेशन अंकित किया गया हैं उसी सामान की दरें वित्तीय निविदा में अंकित की जावें। किसी अन्य प्रपत्र या दस्तावेज पर दी गई दरे मान्य नही होगी। प्रथमतः तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वितीय निविदा खोली जायेगी। **निविदा में प्रति पलंग आयरन विद प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच) मय कवर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट एवं चद्दर सहित की दर बाजार में प्रचलित दर से अधिक नही होनी चाहिए।** ऐसी निविदा को जिला स्तरीय क्रय समिति झालावाड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
5. ई–तकनीकी बोली प्रपत्र पेंन/स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदादाता को इस प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 03 व 04 पर अंकित सभी दस्तावेजो की छाया प्रतिया स्व प्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।
7. नमूना परीक्षण इस बोली प्रक्रिया की प्रारम्भिक व आवश्यक शर्त हैं, जिसके आधार पर ही बोली प्रक्रिया सम्पन्न होगी। अतः नमूना जांच के लिए सामग्री का कवर हटाकर अन्दर के मैटिरियल यथा फाईबर/फोम एवं ऑर्थोफाईबर होने की जांच भी बोलीदाता को स्वयं ही करवानी होगी।जिसके लिए बोलीदाता मना नहीं कर सकेगा और साथ ही यह भी विदित रहे कि ऐसी जांच करने पर गद्दे का कवर हटाने के लिए उसपर की गई सिलाई आदि को खोला जाने की स्थिति में जांच उपरान्त उसे वापिस सिलाईबन्द किये जाने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी व इस प्रकिया में यदि गद्दे का कवर किसी भी प्रकार से डैमेज या कटता–फटता है तो उसकी भरपाई इस कार्यालय द्वारा नहीं की जावेगी। विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि केवल उसी बोलीदाता/बोलीदाताओं की तकनीकी बोली खोली जायेगी जिसका सैम्पल उपापन समिति द्वारा क्रय किया जाना यथोचित समझा जावेगा।

(DD SJE) (AFO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

8. समान दरें प्राप्त होने पर तकनीकी समिति द्वारा सामग्री की क्वालिटी/गुणवता, मापदण्ड में जिस निविदादाता के सेम्पल दिये गये स्पेशिफिकेशन से समकक्ष या उच्च गुणवत्ता का निर्धारित किया जायेगा, उसमें उच्च गुणवत्ता वाले के चयन को प्राथमिकता दी जायेगी।

9. **बोली प्रतिभूतिः– बोली सूचना अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।**

- **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदायः– असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद लौटायी जाएगी।**
- **बोली प्रतिभूति से छूटः– उन फर्मों को जो निदेशक, उघोग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान के पास लघू उद्योग के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी स्व प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने पर नियमानुसार छूट देय होगी।**
- **केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।**
- **अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि बोली को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो इस राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।**

10. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप** (Agreement and security deposit)

- बोली स्वीकृत होने की स्थिति मे 07 दिवस में सफल निविदा दाता को निर्धारित प्रपत्र में स्वंय के खर्चे पर 500/– रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर एक अनुबन्ध भरना होगा जिसकी मूल प्रति निःशुल्क कार्यालय उपनिदेशक, सान्याअवि, झालावाड़ (राज.)को देनी होगी।
- सामग्री आपुर्ति एवंनियमो को भली प्रकार से निभाने के लिए कुल निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।
- बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को बोलीदाता के चाहे जाने पर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
- बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि ई–ग्रास चालान के माध्यम से ऑनलाइन जमा करायी जा सकती हैं:–

i. निदेशक, उघोग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाईयों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उघोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से नियमानुसार छूट दी जाएगी।

ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे।

11. बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

- जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
- बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रति (Counter Filo) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

12. **निविदादाता द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के गैर** न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र ई–निविदा के साथ अपलोड करना होगा। स्टाम्प निविदा **जारी होने के बाद की तिथि का होना चाहिए तथा मूल शपथ पत्र निविदा/अमानत राशि के चालान के साथ निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करवाना होगा।**

13. निविदादाता यदि निविदा खुलने के बाद परन्तु अनुमोदन/स्वीकृति से पूर्व अपनी दरों में परिवर्तन करें या निविदा वापस लेने या आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का अनुबन्ध समय पर नही करें या समय पर सम्पादन सिक्युरिटी राशि जमा नही करावे या समय पर सामग्री की आपूर्ति नही करावें या अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करें तो निविदा निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(DD) (ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

14. अस्वीकृत निविदाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जायेगी किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों मेंबोली प्रतिभूतिराशि जब्त कर ली जायेगी :–
क. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं अथवा स्वेच्छा से संशोधित करता है।
ख. यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।
ग. यदि निविदादाता कार्य आदेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
घ. यदि निविदादाता कार्य आदेश के अनुसार सामग्री सप्लाई नहीं करता है।

15. सफल निविदादाता अपने कार्यों या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति/एजेन्सी को नही सौपेगा और ना ही उप बेचान करेगा।किसी भी स्थिति में सबलेट नहीं करेगां।

16. उपापन अधिकारी या उसका 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के विनिर्माण परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चित किया जावे, मालों, उपकरणों, मशीनों की सामग्री एवं कर्म–कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

17. परीक्षणो के मामले में बोली दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य / व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया जायेगा।

18. **विशेष विवरण स्पेशिफिकेशन्स :–**
- प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित तकनीकी स्पेशिफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
- क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेशिफिकेशन्स के अनुरूप हैं अथवा नहीं, के संबंध में किया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
- वारंटी एवं गारंटी का खंडः– बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विकेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्ते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

19. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेशिफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेशिफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

20. परीक्षण प्रभारः– परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगें।

21. **रद्द करना** (Rejection) :–
- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
- तथापि, यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

22. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 3 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

23. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

PP (ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

24. **सुपुर्दगी अवधि** :– बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम 10 दिवस में आपूर्ति करनी होगी। अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा ताकि नियत समय में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कि जा सके :–

- मात्रा की सीमाः–आदेश फिर से देना : यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आंदेश दिया जाता हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी बोली में दी गई शर्तों पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बोली सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

25. **भुगतान** :–

- सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगें।
- किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार कटौतियाँ (टी.डी.एस. व जी.एस.टी. इत्यादि) की जावेगी।
- बिल के साथ फर्म का बैंक विवरण भी सलंग्न करावें।

26. **वसूलियां** : परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिकवीडेटेड डेमेजस) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

27. बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का आशय है कि उसके द्वारा बोली को सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं बोली में उल्लेखित सभी शर्ते बोलीदाता को स्वीकार्य हैं।

28. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द किया जा सकेगा। बोली स्वीकार करने की स्थिति में भी इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा। जब तक कि उपापन अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हों।

29. उपापन समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओ के लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा तथा किसी भी निविदा को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला स्तरीय क्रय समिति झालावाड को होगा।

30. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तों एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्ते मान्य होगे।

31. बोली में संशोधन बोली जारी करने के उपरान्त http://sppp.rajasthan.gov.in/ http://eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर ही किये जायेगें। बोलीदाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

32. बोली स्वीकृत किए जाने से पूर्व/पश्चात् कार्यालय के अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जा सकता है कि बोलीदाता के पास पर्याप्त मात्रा में तथा उपयोग योग्य सामान उपलब्ध है या नहीं। क्या वह उपापन संस्था के लिए उपयुक्त पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने में सक्षम हैं अथवा नहीं।

33. यदि सफल निविदादाता सामग्री आपूर्ति बीच में ही छोडकर चला जाता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य नही करता है तो ऐसी दशा में उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड को निविदादाता की जोखिम एवं लागत पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का अधिकार होगा एवंउसकी वसूली सम्बन्धित निविदादाता से की जावेगी।

(DD) (ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

34. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। जो सभी पक्षो को मान्य होगा। **कानूनी विवाद का न्याय क्षेत्र झालावाड़,राजस्थान होगा।**

35. सामग्री प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार जिला स्तरीय क्रय समिति झालावाड को होगा।

36. सामग्री प्रदाय कर्ता का कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करनें का पूर्ण अधिकार जिला स्तरीय क्रय समिति झालावाड. को होगा।

37. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित किये गये स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड में ही करनी होगी। अगर सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्पेशिफिकेशन/ब्रान्ड के अनुसार नही की जाती है तो भुगतान नही किया जाकर उपापन संस्था जारी कार्यादेश को रद्द कर सकेगी।

38. समस्त सामग्री बाजार में प्रचलित उच्च ब्रान्ड/गुणवता मे होनी चाहिए।

39. निविदादाता निविदा प्रपत्र भली प्रकार से पुर्ण रूप से भरकर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवंफर्म की मोहर अंकित करके पीडीएफ फाईल को निर्धारित दिनांक एवंसमय तक www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड हो जाना चाहिये। प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा निर्धारित दिनांक एवंसमय को खोली जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को राजकीय अवकाश होने पर निविदा अगले दिन खोली जाएगी।

40. दरे शब्दों एवंअंको दोनो में लिखी जायेगी, इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नही होना चाहिए।

41. सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

42. आदेशानुसार अथवा अनुमोदित गुणवत्ता का कार्य सम्पादित नहीं करने या कार्य करने में असमर्थ होने पर वांछित कार्य अन्य फर्म से करवाये जाने की दशा में अन्तर राशि की वसूली सम्बन्धित दोषी फर्म से की जायेगी।

43. सामग्री की दरें सभी करों एवंप्रभारों सहित (एफ.ओ.आर.)रहेगी।

44. निर्धारित गारन्टी/वारन्टी के लिए बोलीदाता बाध्य होगा।

45. सामग्री की आपुर्ति, आपूर्ति कार्यादेश से 10 दिवस मेसंपूर्ण जिले के अधीन संचालित छात्रावासों में निविदादाता को अपने खर्चे पर करनी होगी। जिसके लिए अलग से भाडा देय नही होगा अर्थात् उक्त सामग्री का एफओआर संपूर्ण जिले में संचालित छात्रावासों में करना होगा।छात्रावासों की अधिकृत सूची मय संपूर्ण विवरण कार्यादेश के समय उलब्ध करवाई जायेगी। वारंटी पीरियड मे सर्विस कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ के अधीनस्थ समस्त राजकीय छात्रावासों में उपलब्ध करवानी पडेगी।

46. कार्यादेश निविदादाता के स्थानीय पते पर या ईमेल द्वारा दिया जायेगा।

47. निविदा दर प्रस्तुत करने वाली फर्म/निविदादाता वित्त विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक एफ–1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2013 में उल्लेखितAnnexures (निविदा शर्तों के साथ संलग्न) में वर्णित शर्तो को भी मानना/मानने के लिये बाध्य होगा।

48. निविदादाता को फर्म के पंजीकरण (कम्पनी एक्ट/फर्म/उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकरण/डीलरशीप ऑथोराईजेशन इत्यादि) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

49. **निरीक्षण**–विभाग/कार्यालय के द्वारा आपूर्ति सामग्री की भौतिक जांच की जा सकेगी।

50. परिदान कालावधि–जिस बोलीदाता की बोली स्वीकृत हो चुकी है, वह इस कार्यालय द्वारा आदेश दिये जाने पर आदेश में वर्णित अवधि में सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था करेगा। समय पर सामग्री की व्यवस्था में असफल रहने पर परिनिर्धारित राशि की वसूली की जावेगी।

51. **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए– 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए – 10%

(ड़) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूर्ण करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है,तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा को घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

52. अन्य शर्ते सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

53. निविदा कमेटी अनावर्तक सामान यथा गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, कम्बल, तकिया, तकिया कवर इत्यादि निविदा हेतु कॉम्बों सामग्री के लिये साथ में (L-1)न्युनतम राशि रहने वाले फर्म को या अलग–अलग सामग्री की न्युनतम राशि (L-1)रहने वाले फर्मो को क्रय आदेश देने के विवेकाधिकार के लिये अधिकृत है।

54. वित्तीय बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशिएशन किया जा सकता है।

55. कोई भी दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पडता है, तो क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए बोलीदाता ही उत्तरदायी होगा।

56. अनुमोदित फर्म को अपने प्रतिनिधि को कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क रहने के लिए पाबन्द करना होगा जो समय–समय पर क्रय आदेशों को प्राप्त कर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

57. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई दरें अनुबंध की दिनांक से 31.03.2026 तक के लिये विधि मान्य है।

58. जिले के राजकीय राजकीय छात्रावासों हेतु अनावर्तक सामान क्रय करने हेतु छात्रावास संचालन नियम 2012 के भाग 03 के नियम 07 के उपनियम iii के क्रम में जिला कलक्टर झालावाड के राजकाज रेफरेंस न0 20040304 दिनांक 20.01.2026 द्वारा गठित जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय मान्य होगा।

59. प्रथम अपील अधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर व द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर होंगे।

नोटः– निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में GF&ARमें वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
झालावाड़

निविदा सूचना एवं उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित 1 से 59 तक की समस्त शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसे मानने हेतु फर्म/निविदादाता सहमत है।

हस्ताक्षर
निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सी

(AO) (ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

एस.आर.प्रारूप–11

निविदादाता की घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन सामानों/सामग्री के लिए निविदा दी है की समस्त जानकारी/शर्तों को मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/ हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है, एवं उनका/ उनके/मै/हम बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोलसेलिंग/विपणन /एजेन्ट हूँ/ हैं।

तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 39 के अनुसार हमारी फर्म को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred)/ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

तथा यह घोषणा अथवा अन्य कोई भी कथन असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील
मय पूर्ण पता

.....

.....

.....

(PPGE) (ATO) (CEO)

Scanned with OKEN Scanner

मैं/हम उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़ द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक .....दिनांक ..... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसके समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मैरे/हमारे द्वारा निविदा के साथ संलग्न किये गए समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मैरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि निविदा प्रक्रिया या निविदा प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी निविदा/अनुबन्ध को निरस्त करने, मैरे/हमारे विरूद्ध कानूनी/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

हस्ताक्षर

निविदादाता/फर्म/एजेन्सी मय सील

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	नाम दस्तावेज/प्रमाण–पत्र	पृष्ठ सं.
01.	वस्तु एवंसेवा कर (GST)	
02.	आयकर (पैन नम्बर)	
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य सं. अधि. 1958 या भारतीय साझेदारी अधिनियम .1932 या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 या केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र	
05.	दिसम्बर–2025 तक का जीएसटी जमा होने का स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र/चालान की कॉपी	
05.	राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का 100 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नौटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र	
06.	किसी सरकारी विभाग/उपकम/संगठन/कार्यालयों में गत 2 वर्षों में कम से कम 25 लाख की निविदा सामग्री के समकक्ष सामग्रियों के आपूर्ति का संतुष्टि की प्रमाणित प्रति।	
07.	गत तीन वित्तीय वर्षो 2022–23 से 2024–25 तक का वार्षिकन्यूनतम 75 लाख(प्रत्येक वर्ष का औसत न्यूनतम 25 लाख)रूपये का टर्न आवर का C.A.द्वारा प्रमाण पत्र जिसमें UIDNन0 अंकित हों।Annexure- 'I'	
08.	अन्य दस्तावेजः–01. प्रोपराईटर का आधार कार्ड 02. लघु औधोगिक इकाई रजि. प्रमाण–पत्र (यदि हो तो)	
09	अनुलग्नक.ई. (शपथ पत्र)	
10.	अनुलग्नक.एफ.(घोषणा)	

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता .....

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़

ई–निविदा आंमत्रण सूचना सं. 02/2025–26

निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

विषय :–उप निदेशक, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग झालावाड़ के अधीन संचालित छात्रावासों के लिए अनार्वक सामान (पलंग आयरन विद प्लाई/गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच), दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, एवं चद्दर) की आपूर्ति हेतु।

01. निविदा प्रस्तुत करनें वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता..... .....ई–मेल आईडी ..... मोबाईल.....
02. प्रोपराईटर का नाम एवंस्थायी पता ....
03. प्रोपराईटर का आधार कार्ड नम्बर.....
04. दरें समस्त करों सहित निम्नानुसार हैः–

S.no.	Item Description	Qty.	Unit rate (in INR) (inclusive of all govt. taxes, Transporatation Charges, other levie, duties including GST)	Total amount (in INR)(inclusive of all govt. taxes,Transportation charges,other levie,duties including GST)
	1	2	3	4=3*2
1	पलंग आयरन विद पलाई	365		

S.no.	Item Description	Qty.	Unit rate (in INR) (inclusive of all govt. taxes, Transporatation Charges, other levie, duties including GST)	Total amount (in INR)(inclusive of all govt. taxes,Transportation charges,other levie,duties including GST)
	1	2	3	4=3*2
1	गद्दे फॉम बेस्ड ऑर्थोफाइबर मय कवर	628		
2	कम्बल चैक	740		
3	तकिया	995		
4	तकिया कवर	995		
5	खेस	800		

Scanned with OKEN Scanner

6	बेडशीट	1070		
7	दरी	358		

नोट :–

1. दरें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी है।
2. दरें समस्त करों सहित होगी एवंएफओआर झालावाड़ जिले के अधीन संचालित छात्रावासो में करनी होगी।
3. निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही सामग्री स्वीकार्य होगी।
4. **निविदा की दरें संलग्न B.O.Q. Excel Sheet में अंकित करनी होगी।**

उपरोक्त सामग्री/सेवायें की निविदा के सन्दर्भ में जारी की गई समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुये सप्लाई करने को सहमत हूँ। आदेशित सामग्री/सेवायें नियत समय पर आपूर्ति करने को सहमत हूँ। निविदा की समस्त शर्तों को पढ़कर/समझकर उक्तानुसार दरें प्रस्तुत की गई है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is conside4red to be a situation, in which a party has interests that could improperly influence that part's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive of have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder in involved. However, this does not limit the inclusion of the some subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or nay of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that the subject or the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder with seal

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our bid submitted to Deputy Director, Social Justice and Empowerment Department, Jhalawar for supply of Non-Recurring itemfrom the date of issuing the work order in response to their notice inviting bids no ..... date..... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public procurement Act. 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state govt. or any local authority as specified in the bidding document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of my criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the act, rules and the bidding document, which materially affects fair competition:

Date:
Place:

Signature of bidder with seal

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is The Additional Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is The Director, Social Justice and Empowerment Department, Jaipur

1. Filling an appeal

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designate under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the firs Appellate Authority, the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

   (a) determination of need of procurement;
   (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
   (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
   (d) cancellation of a procurement process;
   (e) applicability of the provisions of confidentiality.

5. Form of Appeal

   (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   (B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
   (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filing appeal

   a) Fee for firstappeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
   b) The fee shallbe paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Scanned with OKEN Scanner

7. Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

I. hear all the parties to appeal present before him; and

II. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of bidder with seal

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-1
FORM NO.1
[See rule 83
of RTPP]

Memorandum of appeal under the rajasthan transparency in public procurement act, 2012

Appeal No.....of .....

Before the..... (First/Second Apellate Authorlty)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant

(ii) Official address, if any

(iii) Residentlal address

2. Name and address of the respondent (s);

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authorlty who passed the order (enclose copy) or a statement of a declsion, action or omlssion of the procuring entlty in contravention to the provisions of the act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposs to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
.....
.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....
.....
.....

Date: Signature of bidder with seal

Place:

Scanned with OKEN Scanner

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall b e recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place

Signature of bidder with seal

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नकई

शपथपत्र

श्री ..... पुत्र श्री .....

निवासी ..... तहसील..... जिला .....

राज्य ..... प्रो. मै .....

यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :–

1. यह है कि निविदा प्रकिया के निर्णय से संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों तथा कय आदेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिकों/लोकसेवकों/संविदा कार्मिकों से मेरा कोई रिश्ता नही है और न ही कोई मेरे परिजन है।
2. यह है कि मेने इन अधिकारियों से न ही किसी तरह से कोई संबंध है तथा न ही किसी तरह से मेरे ऊपर आपसी धोखाधडी, लड़ाई का कोई मामला दर्ज नही है।
3. यह है कि उक्त सूचनायें सही है एवं सत्य है समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगीं।

बोलीदाताहस्ताक्षर

–: तस्दीक :–

मै शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथपत्र में वर्णित तमाम पद मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही हैं। परमात्मा मेरी मदद करें।

बोलीदाताहस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक.एफ.

घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि उप निदेशकसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील)कर दिये है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो कोई भी कार्यवाही, जो की जा सकती है, की जावे तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

बिडदाता का नाम.....

.....

पूर्ण पता .....

.....

.....

टेलीफोन नम्बर (निवास) .....

(कार्यालय).....

Scanned with OKEN Scanner

इकरार नामा

यह करार पत्र आज दिनांक.....माह.....सन्.....को एक पक्ष..... (जिसे इसमें आगे अनुमोदित सेवा प्रदाय कर्ता कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादको एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है। तथा इस अभिव्यक्ति में जाहॅ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेषितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि सामग्री प्रदाय कर्ता राजस्थान राज्य के झालावाड जिले में **उपनिदेशक, समाजिक न्याय एवंअधिकारिता विभाग, झालावाड़ मेंपलंग आयरन विद प्लाई**/गद्दे फॉम बेस्ड आर्थो फाइबर (मोटाई–4 इंच), दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, एवं चद्दर क्रय निविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या..... दिनांक.....में दी गई दरों पर प्रदाय करनें के लिए सरकार से सहमत हो गया हैएवं चूंकि सेवा प्रदात कर्ता ने रुपयें की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:–(1) नगद /बैंक ड्राफ्ट/चालन संख्या/बैंकर्स चेक/रसीद संख्या.....दिनांक.....

2. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

   (1) कार्यादेश संख्या.....दिनांक.....दी गई दरों पर .....के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल सेवा प्रदायकर्ता निविदा एवं संविदा की शर्तो में दिये गये तरीके से उक्त सामग्री की सप्लाई करेगा।

   (2) निविदा सूचना संख्या..... दिनांक.....से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तो को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करनें वाले पक्षकरों के लिए मान्य होगी।

   (3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यदेश संख्या.....दिनांक.....से उल्लेखित अवधि/ तिथि निर्धारित संख्या में सामग्री की सप्लाई करेगा।

3. सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि सामग्री प्रदायकर्ता उपयुक्त तरीके से विधिवत सामग्री प्रदाय करेगा उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनायें रखेगा, तो सरकार.....के माध्यम से अनुमोदित सामग्री प्रदाय को उक्त शर्तो में दिये गये समय पर तथा तरीके से सामग्री प्रदायक के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।

4. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस कारार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान – जयपुर) द्वारा विनिश्चित किये जाएगे तथा सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक.....माह.....सन्.....को अपनें हस्ताक्षर कियें।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से
पदनाम

अनुमोदित सेवा प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक साक्षी सं 1

साक्षी सं 2

दिनांक साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 2

Scanned with OKEN Scanner